न्यायालय : अति० व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश समक्ष-प्रतिष्ठा अवस्थी

प्रकरण कमांक : 112ए/2015

संस्थित दिनांक : 16.05.2014

फाइलिंग नंबर : 230303004592014

नारायण पुत्र गोकुल आयु 40 साल

शीलाबाई पत्नि नारायण आयु 40 साल

राजाराम पुत्र जगराम आयु 50 साल

4– राधाबाई पत्नि जगराम आयु 40 साल

🛂 विनोद पुत्र कलियान आयु ३५ साल

6— फो्सू पुत्र बुद्धे आयु 65 साल

7– रामेश्वरदयाल पुत्र बुद्धे आयु 60 साल

8– कैलाशीबाई पत्नि फोसू आयु 60 साल

9— समूरी पत्नि रामेश्वरदयाल आयु 55 साल

10-रामगोपाल पुत्र हरवक्स आयु 35 साल

11-मायादेवी पत्नि रामगोपाल आयु 31 साल

12-बैजनाथ पुत्र गुटई आयु 35 साल

23-स्रेन्द्र सिंह पुत्र कलियान सिंह आयु 36 साल

24-नीलम पत्नि सुरेन्द्र सिंह आयु 33 साल

25-कलियान पुत्र शिवचरन आयु 60 साल समस्त

निवासीगण ग्राम खंडेर परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

वादीगण

1—अशोक पुत्र देवीलाल आयु 50 वर्ष जाति कायस्थ निवासी वार्ड नं09 गोहद जिला भिण्ड म.प्र. 2—फुल्जारी पुत्र भोले निवासी वार्ड नं09 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

3–म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड म0प्र0

4—महेश कुमार पुत्र देवीलाल जाति कायस्थ निवासी ग्राम खडेर परगना गोहद जिला भिण्ड

<u>.... प्रतिवादीगण</u>

(वादीगण द्वारा—अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता) (प्रतिवादी कं01 एवं 4 द्वारा अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला) (प्रतिवादी कं0 2 एवं 3 पूर्व से एकपक्षीय)

निर्णय

(आज दिनांक 25—10—2017 को घोषित)

वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम खंडेर परगना गोहद में स्थित भूमि सर्वे क0 29, 109, 125, 208, 209, 215, 328, 329, 379, 380, 384, 948 एवं 967 की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम खंडेर तहसील गोहद के भूमिहीन कृषक मजदूर हैं वर्ष 2002 में म0प्र0 शासन की नीति अनुसार गांव की शासकीय काबिज काश्त भूमि के पट्टे प्रदान किए गए थे इसी नीति के अनुसार वादीगण को मौजा खंडेर की शासकीय कृषि भूमि के सर्वे क0 29, 109, 125, 208, 209, 215, 328, 329, 379, 380, 384, 948 एवं 967 के पट्टे अलग-अलग अनुपात में प्रकरण क0 42 / 01-023-19 आदेश दिनांक 28.05.02 प्रकरण क्रमांक 52 / 01-023-19 आदेश दिनांक 25.07.02 एवं 26.07.02 द्वारा प्रदान किए गए थे एवं भूमि विक्रीत की गई थी तथा सभी वादीगण को उनके रकवा अनुसार भूमि नापकर कब्जा दे दिया गया था प्रस्तुत वाद में उक्त पट्टे वाली भूमि ही विवादित है वादग्रस्त भूमि वादीगण को विधिवत लिखित पट्टे पर दिए जाने के बाद राजस्व कांगजात में विधिवत इंद्राज कर ऋण पुस्तिका वादीगण को प्रदान की गई थी एवं पटवारी तथा आर0आई0 द्वारा विधिवत नापकर के सीमा चिन्ह लगाकर कब्जा दिया गया था तभी से वादीगण विवादित भूमि पर निर्विघ्न निरंतर खेती कर रहे हैं। गांव के कुछ भू-माफियाओं ने उक्त पट्टा वितरण की शिकायत शासन से की थी जिस पर प्रतिवादी क03 ने स्वयं पट्टे वाले प्रकरण की निगरानी करके कुछ पट्टाधारियों को पट्टा प्राप्त करने से अपात्र मानते हुए पट्टे वाले प्रकरण को पुनः पात्रता के आधार पर पट्टे वितरित करने हेतु तहसीलदार गोहद को प्रत्यावर्तित किया गया था वर्तमान में तहसीलदार गोहद के यहां प्रकरण विचाराधीन है तहसीलदार गोहद द्वारा पट्टे वाले प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है वादीगण गांव के मजदूर व्यक्ति हैं जो पट्टे पर जमीन प्राप्त करने के पात्र हैं। वादीगण विवादित जमीन से ही अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। दिनांक 25.12.13 को प्रतिवादी क01 व 2 प्रतिवादी क03 के कर्मचारी पटवारी को साथ लेकर ग्राम खंडेर आए थे और वादीगण को विवादित भूमि पर खडी फसल काटने से मना किया था तथा विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी थी। प्रतिवादी क0 1एवं 2 का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी क01 व 2 प्रतिवादी क03 के सहयोग से वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल करना चाहते हैं तथा वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है

कि यह घोषित किया जावे कि प्रतिवादीगण बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल न करे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह पट्टे वाले प्रकरण के निराकरण तक वादीगण के कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न न करे।

- प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 4/द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण को अवैधानिक रूप से पट्टे प्रदान किए गए हैं जो निरस्त किए जा चुके हैं वादीगण को वादग्रस्त भूमि के संबंध में कभी भी कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर कभी भी खेती नहीं हुई है वादी का नाम राजस्व कागजाद से भी निरस्त किया जा चुका है। वादीगण को दिए गए अवैध पट्टों को कलेक्टर भिण्ड के द्वारा स्वमेव निगरानी क0 32/3-04 में दिनांक 27.03.08 एवं निगरानी क0 33/3-04 में दिनांक 27.03.08 में निरस्त किया जा चुका है। वादीगण द्वारा कलेक्टर महोदय के आदेशों के विरूद्ध आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी जो प्रकरण क0 116/7-08 पर पंजीबद्ध हुई थी उक्त निगरानी में आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने दिनांक 05.01.11 को कलेक्टर भिण्ड के आदेश को सही मानते हुए निगरानी को निरस्त कर दिया था। वादीगण पट्टे प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे इस कारण वादीगण को जारी किए गए अवैधानिक पटटों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरस्त किया जा चुका है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क0 1 एवं 3 की ओर से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग –2 गोहद के न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया था जो स्वीकार किया जा चुका है तथा वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संचालित है वादीगण द्वारा पूर्व में भी दावा प्रस्तुत किया गया था जो निरस्त किया जा चुका है। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।
- 4. प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा वादपत्र का खंडन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वामी नहीं है वादीगण का उपरोक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। वादीगण को पट्टे दिया जाना एक औपचारिकता है एवं कलैक्टर महोदय भिण्ड के द्वारा प्र0 क् 0 32/03—04 में आदेश दिनांक 27.03.08 के द्वारा वादीगण के पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। कलेक्टर के आदेश को किमश्नर महोदय द्वारा यथावत रखा गया है। वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर कोई खेती नहीं हो रही है। वादीगण कलेक्टर के आदेशानुसार वादग्रस्त भूमि के स्वत्व व आधिपत्यधारी नहीं है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।
- 5. प्रतिवादी क03 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से उसके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
- 6. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

क्या वादीगण मौजा खंडेर परगना गोहद में स्थित कृषि भूमि सर्वे कं0 29, 109, 125, 208, 209, 215, 328, 329, 379, 380, 384, 948 एवं 967 के आधिपत्यधारी है ?

- 2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है ?
- 3. क्या वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है ?
- 4. क्या प्रस्तुत वाद विनिदिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य है?
- क्या प्रस्तुत वाद रेसज्यूडीकेटा के सिद्धातों के अनुसार वर्जित है?
- 6. सहायता एवं व्यय?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

वाद प्रश्न कमांक-1

- उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है। उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी नारायण वा०सा०1 ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खंडेर परगना गोहद में स्थित है म0प्र0 शासन की नीति अनुसार वर्ष 2002 में गांव के भूमिहीन कृषक मजदूरों को शासन की कृषि भूमि के पट्टे प्रदान किए गए थे। वादीगण भूमिहीन कृषक मजदूर होने के कारण शासन की नीति अनुसार पट्टे प्राप्त करने की पात्रता रखते थे तथा शासन द्वारा वादी एवं उसकी पत्नि के नाम सर्वे क0 379/2 रकवा 1.03 का पट्टा दिया गया था एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऋण पुस्तिका भी पद्रान की गई थी तथा वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी दिया गया था तभी से वादीगण की अपने-अपने सर्वे क्रमांकों पर खेती हो रही है एवं वादग्रस्त सर्वे क्रमांकों पर वादीगण का कब्जा है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। लगभग दो वर्ष पहले प्रतिवादीगण मौजा खडेर के पटवारी को लेकर आए थे एवं वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी थी तथा कहा था कि तुम्हारे पट्टे निरस्त हो गए हैं जबकि वादीगण के पट्टे निरस्त नहीं हुए हैं। राजस्व कागजातों में भी वादीगण के नाम का इंद्राज है। वादीगण पट्टे वाली भूमि पर खेती करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। अपने अभिवचनों के समर्थन में वादी द्वारा शासन द्वारा वादीगण के हक में दिए गए पट्टे प्र0पी03, प्र0पी06, प्र0पी07, प्र0पी08, प्र0पी09, प्र0पी010, प्र0पी011, प्र0पी012, प्र0पी013, एवं भुअधिकार ऋण पुस्तिका प्र0पी014, प्र0पी015, प्र0पी016, प्र0पी017, प्र0पी018, प्र0पी019 एवं प्र0पी020 तथा वर्ष 2013–14 का खसरा प्र0पी04 व खतौनी प्र0पी05 भी प्रकरण में प्रस्तृत की गई है।
- 8. प्रतिपरीक्षण के पद क0 9 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उन सबका पट्टा कलेक्टर के यहां से निरस्त हो गया था। पद क0 10 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे सर्वे क0 379 का पट्टा मिला था उसे जानकारी नहीं है कि सर्वे क0 379 के कितने बटे कायम हुए थे वह नहीं बता सकता कि प्र0डी01 के खसरे में सर्वे क0 379/1 एवं सर्वे क0 379/2 पर म0प्र0 शासन अंकित है उसे प्र0डी01 के खसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पद क0 11 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कलेक्टर के यहां उसके विरुद्ध तारीख चली थी। उसे जानकारी नहीं है कि उसमें उसके पट्टे निरस्त हो गए थे। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि कमिश्नर के यहां निगरानी की थी। उसे जानकारी नहीं है कि कमिश्नर ने कलेक्टर महोदय के आदेश प्र0डी02 को स्थिर रखा था। पद क0 13 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कमिश्नर महोदय के अलावा 22

अन्य लोगों ने भी निगरानी की थी जो निरस्त हो गई थी।

- 9. वादी राजाराम वा०सा०२ एवं विनोद वा०सा०३ ने भी वादी नारायण वा०सा०१ के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- 10. प्रतिवादी अशोक कुमार सक्सेना प्र0सा01 ने वादीगण के अभिवचनों का खण्डन करते हुए अभिवचनित किया है कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में फर्जी पट्टे करा लिए थे एवं उन पट्टों को कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड तथा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। फर्जी पट्टों के आधार पर वादीगण को कभी भी भूमि का कब्जा नहीं दिया गया था। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में उसे तहसील न्यायालय द्वारा पट्टा दिया गया था इसके बाद व्यवहार न्यायालय वर्ग—2 में दीवानी दावे प्रस्तुत किए गए थे जो कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संचालित है। वादीगण ने शासकीय जमीन तथा प्रतिवादी क0 1 एवं 2 की जमीन को जबरदस्ती हडपने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर दीवानी दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कृषि कार्य नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में संवत् 2069 लगायत 2072 का खसरा प्र0डी01 कलेक्टर महोदय भिण्ड के आदेश दिनांक 27.03.08 की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0डी02 एवं वर्ष 2015—16 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0डी03 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है।
- 11. तर्क के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि म0प्र0 शासन की नीति अनुसार वादीगण को पट्टे पर प्रदान की गई थी लिखितम पट्टे वादीगण द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण की खेती हो रही है। जबिक तर्क के दौरान प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादीगण के पट्टे कलेक्टर महोदय भिण्ड एवं किमश्नर महोदय चंबल संभाग द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य नहीं है।
- 12. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उन्हें म0प्र0शासन की नीति अनुसार वर्ष 2002 में तहसीलदार के आदेश दिनांक 28.05.02 एवं आदेश दिनांक 25.07.02 तथा 26.07.02 के द्वारा वादग्रस्त भूमि के पट्टे प्रदान किए गए थे एवं उनके रकवा अनुसार भूमि नापकर उन्हें आधिपत्य दिया गया था तभी से वह वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर खेती कर रहे हैं। वादीगण द्वारा उक्त संबंध में प्र0पी03 एवं प्र0पी06 लगायत प्र0पी013 के पट्टे अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं। जबिक प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सभी तथ्यों का खंडन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि वादीगण के पट्टे कलेक्टर के आदेश दिनांक 27.03.08 प्र0डी02 के द्वारा निरस्त किए जा चुके हैं।
- 13. यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि म0प्र0 शासन द्वारा उन्हें वर्ष 2002 में वादग्रस्त भूमि के पट्टे प्रदान किए गए थे वादीगण द्वारा उक्त संबंध में प्र0पी03 लगायत प्र0पी020 के पट्टे एवं भूअधिकार ऋण पुस्तिका भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। वादी नारायण वा0सा01 द्वारा उक्त संबंध में स्वयं एवं पितन शीलाबाई को मंजूर पट्टा प्र0पी03 तथा खसरा, खतौनी प्र0पी04 एवं प्र0पी05 भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। प्र0पी03 के दस्तावेज में सर्वे क0 379/2 का पट्टा वादी नारायण एवं शीलाबाई के नाम दिनांक 28.05.2002 को मंजूर किए जाने का उल्लेख है परंतु प्रतिवादीगण द्वारा जो कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 27.03.08 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह दर्शित है कि कलेक्टर महोदय भिण्ड द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के भूमि बंटन आदेश दिनांक 28.05.02 को निरस्त कर दिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा जो संवत् 2069 लगायत 2072 के

खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र०डी०१ प्रकरण में प्रस्तुत की गई है उसमें भी सर्वे क० 379 / 1 एवं 379 / 2 पर म0प्र0 शासने का नाम अंकित है। वादीगण द्वारा उक्त तथ्यों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार प्र0डी02 के आदेश से यह दर्शित है कि वादी नारायण एवं उसकी पत्नि शीलाबाई का पट्टा निरस्त हो चुका है। जहां तक शेष वादीगण का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर से वादी फोस् एवं कैलाशी को मंजूर पटटा प्र0पी०६, समुरी को मंजूर पटटा प्र0पी०७, विनोद को मंजूर पट्टा प्र0पी08, सुरेन्द्र एवं नीलम को मंजूर पट्टा प्र0पी09, कल्यान को मंजूर पट्टा प्र0पी010, हरज्ञान को मंजूर पट्टा प्र0पी011, रघुनाथ एवं चमेली को मंजूर पट्टा प्र0पी012 तथा राजाराम एवं राधाबाई को मंजूर पट्टा प्र0पी013 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है एवं वादीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उक्त पटटे उन्हें वर्ष 2002 में म०प्र० शासन द्वारा प्रदान किए गए थे जबकि प्रतिवादीगण द्वारा जो प्र0डी०1 का खसरा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें वादी अजमेर, हरज्ञान, रघुनाथ के सर्वे क0 125 / 1 , 125 / 2 एवं 125 / 4 तथा बैजनाथ के सर्वे क0 208 / 3, प्रताप के सर्वे क0 208/6, अजमेर के सर्वे क0 215/1, कल्यान के सर्वे क0 380/1, जसंवंत के सर्वे क0 380 / 2, स्रेन्द्र के सर्वे क0 384 / 1, समूरी के सर्वे क0 384 / 2 एवं राजाराम के ्रसर्वे क0 384/3 के पटटे निरस्त होने का उल्लेख है तथा प्र0डी01 एवं प्र0डी03 के खसरे में सर्वे क0 125, 215, 328, 329, 379, 384, 948 म0प्र0 शासन के नाम अंकित होंने का उल्लेख है। वादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजों का कोई खंडन नहीं किया गया है।

- 14. इस प्रकार वादीगण ने वादग्रस्त भूमि वर्ष 2002 में उन्हें पट्टे पर प्राप्त होना बताया है परंतु प्रतिवादीगण द्वारा जो कलेक्टर महोदय का आदेश दिनांक 27.03.08 प्र0डी02 तथा खसरे प्र0डी01 एवं प्र0डी03 प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण को मिले पट्टे निरस्त हो चुके हैं। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र0डी01 लगायत प्र0डी03 से यह दर्शित है कि वादीगण को प्रदान किए गए पट्टे कलेक्टर महोदय द्वारा निरस्त किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्र0पी03 लगायत प्र0पी020 के दस्तावेजों के आधार पर वादीगण को कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है।
- जहां तक उक्त संबंध में आई मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि वादी नारायण वा०सा०१ ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि उसके पटटे निरस्त नहीं हुए हैं परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कलेक्टर महोदय के यहां उसके विरूद्ध तारीख चली थी उसे जानकारी नहीं है कि कलेक्टर के यहां से उसका पट्टा निरस्त हो गया था एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसने मुरैना कमिश्नर के यहां निगरानी की थी इस प्रकार वादी नारायण वा0सा01 ने कलेक्टर द्वारा पटटा निरस्त किए जाने की जानकारी न होना बताया है परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने किमश्नर महोदय मुरैना के यहां निगरानी की थी इससे यह दर्शित है कि वादी नारायण वा0सा01 को संपूर्ण तथ्यों की जानकारी है एवं उक्त साक्षी द्वारा न्यायालय में सत्य बात नहीं बताई गई है एवं उक्त साक्षी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। वादी साक्षी राजाराम वांंगांवां ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसे मालूम नहीं है कि उसका पटटा कलेक्टर भिण्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया है परंतू इसके पश्चात उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि पटटा कितने सालों से निरस्त है उसे जानकारी नहीं है। वादी विनोद वा0सा03 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसके पिता कल्यान, भाई सुरेन्द्र तथा नीलम के पट्टे निरस्त हो चुके हैं। इस प्रकार वादी नारायण वा०सा०1 राजाराम वा०सास2 एवं विनोद वा०सा०3 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण को पटटा निरस्त होने की पूर्ण जानकारी है एवं

वादीगण द्वारा सत्यता को छिपाया गया है तथा वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आए हैं। अतः वादीगण साम्या के आधार पर कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

- प्रस्त्त प्रकरण में वादीगण ने वादग्रस्त भूमि वर्ष 2002 में म0प्र0 शासन द्वारा 16. उन्हें पट्टे पर प्रदान किया जाना बताया है परंतु प्रतिवादीगण द्वारा जो प्र0डी01 लगायत प्र0डी03 के दस्तावेज खसरा, खतौनी एवं कलेक्टर महोदय भिण्ड का आदेश दिनांक 27.03.08 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उससे यह दर्शित है कि वादीगण को प्राप्त पट्टे निरस्त हो चुके हैं एवं वादीगण वादग्रस्त भूमि के पट्टाधारी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है एवं जहां तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य होने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि उन्हें वर्ष 2002 में पट्टे पर प्राप्त होना बताया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा जो प्र0डी01 लगायत ३ के दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं उनसे यह दर्शित है कि वादीगण को प्राप्त पट्टे निरस्त हो चुके हैं वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है। ऐसी स्थिति में वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होना बताया है परंत् वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है वादीगण को प्राप्त पट्टे निरस्त हो चुके हैं ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य विधिपूर्ण नहीं है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के अतिकामक हैं एवं अतिकामक को विधि द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है।
- 17. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह प्रमाणित नहीं है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 29, 109, 125, 208, 209, 215, 328, 329, 379, 380, 384, 948 एवं 967 के विधिपूर्ण आधिपत्यधारी हैं। फलतः उक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न कमांक-2 एवं 3

18. उक्त वादप्रश्नों का निष्कर्ष वादप्रश्न कमांक 1 के निष्कर्ष पर आधारित है। वादप्रश्न कमांक 1 के निष्कर्ष अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का विधिपूर्ण आधिपत्य प्रमाणित नहीं है वादग्रसत भूमि शासकीय भूमि है। ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादीगण द्वारा अवैधानिक रूप से वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः वादीगण रथायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न कमांक-4

19. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है तथा वादीगण द्वारा कब्जा वापिसी की सहायता नहीं चाही गई है। अतः प्रस्तुत वाद विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि पर उनका आधिपत्य होना बताया है चूंकि वादीगण ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि पर उनका आधिपत्य होना अभिवचनित किया है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि स्पष्ट रूप से कब्जे की सहायता न चाहे जाने के कारण प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न कमांक-5

20. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क01 एवं 3 की ओर से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि स्वीकार किया जा चुका है तथा वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संचालित है। अतः उक्त वाद प्राडन्याय के सिद्धांत के अनुसार वर्जित है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचिनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में ही प्रतिवादी क0 1 एवं 3 द्वारा पर्वू में भी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 गोहद के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था परंतु उक्त संबंध में कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्ववर्ती वाद के कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में उभयपक्षों के मध्य पूर्व में भी वाद संचालित था। ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि प्रस्तुत वाद प्राङन्याय के सिद्धांत के अनुसार वर्जित है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

सहायता एवं व्यय

- 22. समग्र अवलोकन से वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।
- 23. 🔪 वाद का सम्पूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जायेगा।
- 24. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय होगा।

तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान – गोहद

दिनांक - 25-10-2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गय

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) अति०व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)